–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 12/2022

उनवान

सुखपाल दत्तक पुत्र रामा पौत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री फारुक खत्री

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ
2. शिवराज पुत्र भंवरलाल
3. सन्तोक पुत्री भवंरलाल
4. श्रवण पुत्र जगन्नाथ
5. रसाल पुत्री जगन्नाथ समस्त जाति जाट नि0 तिहारी, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री राकेश राणा
5 अनुपरिस्थित
6 जरिये राज0 पैरोकार

(न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला–अजमेर))

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 24.3.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 तिहारी तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादी के की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
717/664	किता 13	6.53
718/666	5644	0.06
617/830	5635	0.28
1090/1013	414/6741	6.20

उक्त आराजी राजस्व अभिलेख मे रामा पुत्र जगन्नाथ के नाम खातेंदारी दर्ज है। रामा पुत्र जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 18.04.1999 को हो गयी है। रामा की पत्नी मनोहर की भी मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार रामा का कोई जायजा वारिस नहीं है। रामा पुत्र जगन्नाथ ने अपने जीवन काल में वादी को गोद ले लिया था। [illegible] वादी द्वारा रामा व उसकी पत्नी मनोहर की सेवा की गयी तथा पुत्र के [illegible] पूर्ण किये गये। इस प्रकार वादी ही रामा पुत्र जगन्नाथ का एक मात्र वारिस है।
3. आराजी मुतनाजा में खाता संख्या 1090/1013 [illegible] आराजी राजस्व अभिलेख में रामा पुत्र जगन्नाथ के नाम गैर खातेदारी दर्ज है जबकि [illegible] आराजी मुतनाजा वादी के दत्तक पिता रामा पुत्र जगन्नाथ व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में है। रामा के पिता का नाम जगन्नाथ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जिनके तीन पुत्र रामा, भंवरलाल व श्रवण तथा एक पुत्री रसाल है। वादी के जायन्दा पिता का नाम भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ है जो कि वर्तमान में जीवित है तथा उनके द्वारा ही वादी को समाज के मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष रामा को गोद दिया था। किन्तु अनपढ होने के कारण उस वक्त गोद की कोई लिखा पढी नही की गयी किन्तु हिन्दु धर्म में प्रचलित समस्त क्रिया कर्म की पालना गोद लेने व देने में की गयी थी। अतः वादी रामा का दत्तक पुत्र होने से उसकी आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु वादी द्वारा यह वाद श्रीमान् की सेवा में पेश किया जा रहा है। अतः आराजी मुतनाजा पर रामा के हिस्से की आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स. 5 प्रकरण मे अनुपसिथत रही। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में गुमान व रामधन के शपथ पत्र पेश किये। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी रामा पुत्र जगन्नाथ व अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 414/6741 रामा पुत्र जगन्नाथ व अन्य व्यक्तियों की गैर खातेदारी में दर्ज है। रामा की मृत्यु हो गयी है। ग्राम पंचासत द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व आधार कार्ड अनुसार रामा के कोई जायन्दा पुत्र नही है तथा वादी रामा का दत्तक पुत्र है। रामा के भाई व परिवार के सदस्यो द्वारा प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया है। जिनके द्वारा स्वीकार किया है कि रामा ने वादी को गोद लिया था। वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह ने भी स्वीकार किया है कि रामा ने वादी को सामाजिक रिति रिवाज से गोद लिया था। उक्तानुसार वादी का गोद जाना प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी शजरा प्रमाण पत्र से भी उक्त कथन की ताईद होती है। अतः वादी रामा पुत्र जगन्नाथ की आराजी पर खातेदारी/गैर खातेदारी प्राप्ति करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम तिहारी के खाता संख्या 717/664 किता 13 रकबा 6.53, खसरा नम्बर 5644 रकबा 0.06, 5635 रकबा 0.28 खसरा नम्बर 414/6741 रकबा 6.20 की आराजी पर वादी का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। खाता संख्या 717/664 किता 13 रकबा 6.53, खसरा नम्बर 5644 रकबा 0.06, 5635 रकबा 0.28 की आराजी पर रामा पुत्र जगन्नाथ के हिस्से पर वादी को खातेदार व खसरा नम्बर 414/6741 रकबा 6.20 की आराजी पर गैर खातेदार घोषित किया जाता [illegible] नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे [illegible] खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुखपाल बनाम भंवरलाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 12/2022
पेश करने की दिनांक – 19.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के खाता संख्या 717/664 किता 13 रकबा 6.53, खसरा नम्बर 5644 रकबा 0.06, 5635 रकबा 0.28 खसरा नम्बर 414/6741 रकबा 6.20 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। खाता संख्या 717/664 किता 13 रकबा 6.53, खसरा नम्बर 5644 रकबा 0.06, 5635 रकबा 0.28 की आराजी पर रामा पुत्र जगन्नाथ के हिस्से पर वादी को खातेदार व खसरा नम्बर 414/6741 रकबा 6.20 की आराजी पर गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद